



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252655
CG-DL-E-06032024-252655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 137]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यापारावर्त या आय का अवधारण) विनियम, 2024

(2024 की सं. 05)

सं. बी-14011/2/2024-एटीडी-II—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 27 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) और धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के साथ पठित, धारा 64 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (चख) और (छघ) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यापारावर्त या आय का अवधारण) विनियम, 2024 है।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

- (क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;
- (ख) “आयोग” से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) “सनदी लेखापाल” से अधिनियम की धारा 35 के स्पष्टीकरण (क) में यथापरिभाषित सनदी लेखापाल अभिप्रेत है;
- (घ) “व्यापारावर्त” से अधिनियम की धारा 2(म) के अधीन, यथापरिभाषित और अधिनियम की धारा 27(ख) के अधीन स्पष्टीकरण में जैसा स्पष्ट किया गया है, व्यापारावर्त अभिप्रेत है;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो उनका, अधिनियम या नियम या तदधीन बनाये गये विनियम या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है।

3. अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजनार्थ उद्यम के लिए व्यापारावर्त या आय का अवधारण

- (1) यथास्थिति, व्यापारावर्त या आय में, ऐसे उद्यम द्वारा अनुरक्षित संपरीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं के अनुसार, बिक्री का मूल्य (राजस्व या प्राप्तियां जो भी नाम से पुकारा जाए), और अन्य प्रचालन राजस्व सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण: इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, अन्य आय, अप्रत्यक्ष कर, व्यापार बट्टे और अंतर-समूह बिक्री, यदि कोई हो, को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

- (2) ऐसी दशा में, जहां किसी उद्यम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 या कोई कानून के अधीन, समेकित वित्तीय विवरणिका तैयार करना अपेक्षित है, वहां व्यापारावर्त या आय ऐसे संपरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर आधारित होगी।
- (3) ऐसी दशा में, जहां संपरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां व्यापारावर्त या आय, उद्यम के कानूनी संपरीक्षक, या सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित, और इस संबंध में, उद्यम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा समर्थित धनराशि होगी।
- (4) यदि व्यापारावर्त या आय भारतीय रुपये में नहीं है तो उसे प्रत्येक संगत वित्तीय वर्ष के लिए, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित, और इस संबंध में, उद्यम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा समर्थित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाप्रकाशित विदेशी मुद्रा निर्देश दर के औसत के आधार पर भारतीय रुपये में संपरिवर्तित किया जाएगा।

4. अधिनियम की धारा 27 और 48 के प्रयोजनार्थ व्यष्टि के लिए आय का अवधारण

- (1) कोई व्यष्टि के मामले में आय, आयकर अधिनियम, 1961 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन, यथाविहित आयकर विवरणी के अनुसार, सकल कुल आय होगी। ऐसी सकल कुल आय में विवर्जित होंगे: (क) गृह संपत्ति से आय, और (ख) पूंजीगत लाभ से आय।
- (2) ऐसी दशा में, जहां आयकर विवरणियां उपलब्ध नहीं हैं या कर विवरणियां कई अधिकारिताओं में फाइल की जाती हैं या कोई अधिकारिता में फाइल नहीं की जाती हैं, वहां आय, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित और ऐसे व्यष्टि द्वारा शपथपत्र द्वारा समर्थित कुल आय होगी।
- (3) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे आयकर विवरणी दाखिल करना अपेक्षित नहीं है, वहां आय सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित और ऐसे व्यष्टि द्वारा शपथपत्र द्वारा समर्थित कुल आय होगी।

5. कठिनाइयों को दूर करना

इन विनियमों में, या इनकी व्याख्या के विषय में, उपबंधित न होने की स्थिति में, उस पर आयोग का विनिश्चय आवद्धकर होगा।

अनुपमा आनंद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./804/2023-24]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2024

The Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024**(No. 05 of 2024)**

No. B-14011/2/2024-ATD-II —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (fb) and (gd) of sub-section (2) of section 64 read with Explanation to clause (b) of section 27 and clause (c) of Explanation to section 48 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short Title and Commencement

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-
 - (a) “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
 - (b) “Commission” means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
 - (c) “Chartered Accountant” means a chartered accountant as defined in Explanation (a) to section 35 of the Act;
 - (d) “Turnover” means turnover as defined under section 2(y) of the Act and as explained in Explanation 2 under section 27(b) of the Act.
- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act or the rules or regulations framed thereunder or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

3. Determination of turnover or income for enterprise for the purposes of Section 27 of the Act

- (1) Turnover or income, as the case may be, includes value of sales (or revenue or receipts, by whatever name called), and other operating revenue, as per the audited financial statements maintained by such enterprise.

Explanation: For the purpose of this regulation, other income, indirect taxes, trade discounts and intra-group sales, if any, shall not be taken into account.

- (2) In case an enterprise is required to prepare a consolidated financial statement under Section 129 of the Companies Act, 2013 or under any law, turnover or income shall be based on such audited consolidated financial statements.
- (3) In case audited financial statements are not available, turnover or income, shall be the amount certified by the statutory auditor of the enterprise, or a Chartered Accountant, and supported by an affidavit by any person duly authorised by the enterprise in this regard.
- (4) Turnover or income, if not maintained in Indian Rupees, shall be converted into Indian Rupees based on, the average of the foreign currency reference rates as published by the Reserve Bank of India, for each of the relevant financial year as certified by a Chartered Accountant and supported by an affidavit by any person duly authorised by the enterprise in this regard.

4. Determination of income for individual for the purposes of Sections 27 and 48 of the Act

- (1) Income in case of an individual shall be the gross total income as per the Income Tax Returns (ITRs) as prescribed under the Income Tax Act, 1961 and the rules framed thereunder. Such gross total income shall

exclude: (a) income from house property, and (b) income from capital gains.

- (2) In case Income Tax Returns are not available or tax returns are filed in multiple jurisdictions or not filed in any jurisdiction, income shall be the total income as certified by a Chartered Accountant and supported by an affidavit by such individual.
- (3) In case of an individual who is not required to file an Income Tax Returns, income shall be the total income as certified by a Chartered Accountant and supported by an affidavit by such individual.

5. Removal of Difficulties

In a situation not provided for in these regulations, or in the matter of their interpretation, the decision of the Commission thereon shall be binding.

ANUPAMA ANAND, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./804/2023-24]